

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 12926/2025

Salim Mansuri S/o Mohammed Khan, Aged About 55 Years, R/o
Nai Colony Raipur, Police Station Raipur, District Jhalawar (Raj.)
(At Present Confined In Sub District Jail At Bhawani Madni Dis-
trict Jhalawar (Raj.)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Rajveer Singh Jhala, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

10/11/2025

प्रार्थी—अभियुक्त **सलीम मंसूरी** की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पुलिस थाना—भवानी मंडी, जिला—झालावाडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—195/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/20, 8/29 एन.डी. पी.एस. एक्ट, 1985 में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी—अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी—अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में अन्य सह—अभियुक्त की सूचना के आधार पर ऐसा कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आया है जिसमें प्रार्थी—अभियुक्त द्वारा मुख्य अभियुक्त इकबाल को परिवहन की जा रही कुल 1 किलोग्राम 920 ग्राम गांजा उपलब्ध कराया गया हो। प्रार्थी—अभियुक्त दिनांक 22.06.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में प्रथम जमानत आवेदन अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं होने से पूर्व में अस्वीकार किया गया था। तदुपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी—अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्टया 8/20 एवं 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत अपराध होने के संबंध में

कोई सारभूत तथ्य पत्रावली पर नहीं है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। प्रकरण में अन्य सह-अभियुक्त इकबाल की जमानत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार कर उसे जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया है कि प्रार्थी-अभियुक्त एक अभ्यस्त अपराधी है तथा पूर्व में भी उसके विरुद्ध इसी प्रकृति के अपराध पुलिस थाना बारां एवं झालरापाटन में पंजीबद्ध हुये थे और 04 अन्य प्रकरण विभिन्न अपराधों में पंजीबद्ध है। यदि प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जाता है तो उसकी पुनः अपराध में संलिप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्त से उक्त वाणिज्यिक मात्रा में गांजा प्राप्त करना बताया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी-अभियुक्त का द्वितीय जमानत आवेदन अस्वीकार किया जावे।

बहस सुनी गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध अन्य सह-अभियुक्त इकबाल को वाणिज्यिक मात्रा में गांजा उपलब्ध करवाने का आरोप है। इस संदर्भ में प्रार्थी-अभियुक्त की अन्य सह-अभियुक्त की सूचना के अतिरिक्त प्रकरण में अन्य कोई सारभूत साक्ष्य का विद्यमान होना पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, प्रार्थी-अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि एवं मामले के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **सलीम मंसूरी पुत्र मोहम्मद खान** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए,

उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का बन्ध-पत्र तथा पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाए:—

शर्त:—

1. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत प्रार्थी/अभियुक्त अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वह उपयोग में ले रहा है, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएगा व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करता है, तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह के द्वितीय व चतुर्थ सप्ताह के शनिवार को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J